

4

92

न्यायालय श्रीमान न्यायाधीश महोदय, राजस्व मण्डल केम्प भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्रमांक

/10-11

A-294-II/2011

रामगोपाल आत्मज रामदयाल
आयु व्यस्क
निवासी - ग्राम पुरा छिन्दवाड़ा
तहसील हुजूर जिला भोपाल
कृषक ग्राम सतपोन तह.श्यामपुर
जिला सीहोर म.प्र.

---- अपीलार्थी

विरुद्ध

1. रामदयाल
2. देवीसिंह
3. रामभजन
4. कलावती

सभी पुत्र पुत्रीगण रामकिशन
कृषक सतपोन जिला सीहोर
निवासीगण ग्राम पुरा छिन्दवाड़ा तह.हुजूर
जिला भोपाल

-- प्रतिअपीलार्थीगण

श्री रामगोपाल

द्वारा आजदिनांक

14-2-11 को

भोपाल केम्प

पर उस्त

G/m

14-2-11

अपील अन्तर्गत धारा 44 म.प्र.भू राजस्व संहिता

यह कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/अपील/09-10 में पारित आदेश दिनांक 15/11/10 से क्षुब्ध होकर निम्नलिखित ठोस आधारों एवं तथ्यों पर प्रस्तुत की जा रही है ।

अपील के तथ्य

1. यह कि भूमि खसरा क्रमांक 116/2/2 रकवा 15 एकड़ एवं खसरा क्रमांक 147/116/2 रकवा 5 एकड़ कुल रकवा 20 एकड़ पर प्रति अपीलार्थीगण सयुक्त स्वामित्व था । जिसमें सह खाताधारी की सहमति के आधार पर आदेश दिनांक 3/8/07 को पंजी क्रमांक 06 पर तहसीलदार महोदय द्वारा रामगोपाल अपीलार्थी का नाम दर्ज किया गया ।

2. यह कि उक्त आदेश परित करते समय सहखातादारों द्वारा पंजी पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर व अगूठ निशानी दी गई तथा उक्त प्रविष्टि प्रमाणित की गई थी।

3. यह कि उक्त सहमति के आधार पर खसरा क्रमांक 116/2/2 तथा 147/116/2 में अपीलार्थी का नाम दर्ज किया गया ।


4. यह कि प्रतिअपीलार्थीगण द्वारा आदेश दिनांक 03/08/07 जिसके द्वारा

क
22-2-11

M

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

अपील
प्रकरण क्रमांक ~~जि०स०~~ 294-दो/11 जिला-सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिप्रेत आदि के हस्ताक्षर
9-5-17 भोपाल	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एन० एस० ठाकुर को समय समय पर आवाज लगवाई गई, कोई उपस्थित नहीं। आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (2) के अन्तर्गत अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p> सदस्य</p>	

